v/;k; 5

dk;kZUo;u fØ;kfof/k

5-1 ;kstuk dk;kZUo;u dh ekfyd fl)kr

जब मास्टर प्लान का अनुमोदन हो जाता है, तो संबंधित विभाग को योजना दस्तावेज में अन्तर्विष्ट प्रावधानों और प्रस्तावों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कठोर परिश्रम करना होगा । हैवलॉक और नील द्वीप अद्वितीय है, अतः इन द्वीपों के लिए मास्टर प्लान है । मास्टर प्लान करने की प्रक्रिया में स्थाई पर्यटन की धारणा मार्गदशी सिद्धांत था, जिससे इन द्वीपों की वहन क्षमता के भीतर विकास प्रभावों को समाविष्ट करने के लिए प्रत्याशित सभी संभाव्यता में अनुकूल प्रतिक्रिया करने वाले मास्टर प्लान के निर्माण में मदद मिली । पर्यटन यहॉ महत्वपूर्ण विकास करने के लिए तैयार है तथा आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में मुख्य भागीदारी प्राप्त करना निश्चित की है । तदनुसार मास्टर प्लान ने इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया है तथा पर्यटकों की संख्या साथ उनकी अभिरूचि कायम रखने के संदर्भ में परियोजनाओं की पहचान की है । अतः नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (वर्तमान में अ.लो.नि.वि की नगर एवं ग्राम नियोजन ईकाई) तथा पर्यटन विभाग को मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की सभी प्रयासों को सही प्रकार से इस्तेमाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ।

यह भी महत्वपूर्ण है कि मास्टर प्लान के शिफारिसों तथा कार्यान्वयनों का आवधिक समीक्षा करें, ताकि परियोजना ब्यौरा में आवश्यक परिवर्तन को समाविष्ट कर सके, विकास नीतियों एवं कार्यनीनियों की समय सीमा एवं पुनपहचान विकास के साथ समायोजन कर सकें । स्थानीय जनसंख्या तथा पर्यटकों की बीच होने वाले अपेक्षित बढ़ते आंतरिक एवं बाहरी अर्थ संबंधी एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में यह संशोधन आवश्यक होगा ।

5-2 Hkfe vkj Hkou fodkl fØ;kdykiksa dk fofu;e

वर्तमान में हैवलॉक और नील द्वीपों में भूमि और भवन विकास क्रियाकलाप अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम 1997 द्वारा नियंत्रित होता है । लेकिन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एंव ग्राम नियोजन विनियम, 1994 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित होने पर तथा इस मास्टर प्लान के प्रचालन में आने पर, इस मास्टर प्लान में 'विकास विनियम' के रूप में समाविष्ट प्रावधान, अधिसूचित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी विकासों पर लागू होगा । इस प्रकार के मामलों में सभी व्यक्ति/निकाय (भारत सरकार के विभाग या प्रशासन सहित) विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य करना चाहता है, तो उसे अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2005 की धारा 4(1) के तहत लिखित में आवेदन करना होगा । अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 धारा 10 के अनुसार मास्टर प्लान की पुष्टि से इतर किसी अन्य कानून में समाविष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति, इस मास्टर प्लान के प्रचालन में आने के पश्चात् विकास क्षेत्र में किसी भी भूमि या भवन का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997, इन द्वीप समूह में पंचायत प्रशासन के लिए सामान्य ढांचा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पंचायत के क्षेत्राधिकार के भीतर भवन प्रचालन के नियंत्रण हेतु प्रयोजन भी उपलब्ध कराता है तथा व्यवस्थित भौतिक विकास हेतु अनेक नियम भी प्रस्तुत करता है। उपरोक्त नियमों के अध्याय VII में पंचायत क्षेत्र में निर्माण क्रियाकलापों के लिए सेटबेक अपेक्षाएं, प्लॉट आवरण, न्यूनतम सड़क चौड़ाई इत्यादि जैसे कुछ नियोजन मानदण्ड शामिल है । इसके अतिरिक्त अनुमति हेतु आवेदन एवं छूट से संबंधित प्रक्रिया भी शामिल है ।

मास्टर प्लान के भाग के रूप में निर्धारित विकास विनियम सभी नियोजन मानदण्डों तथा नियोजन अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से समाहित करता है । मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 के बीच द्वंद्व के मामले में मास्टर प्लान के विकास विनियम एवं कार्यान्वयन क्रियाविधि में समाविष्ट प्रावधान प्रचलित होगा ।

5-3 'kfDr;k dk fodUnhdj.k

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 धारा (12) के अतर्गत नगर योजनाकार को विकास क्षेत्र के भीतर नियोजन अनुमति जारी करने की शक्तियॉं प्रदान की गई है ।हैवलॉक और नील द्वापों के पंचायत भागरूप के भीतर नियोजन अनुमति प्रदान करने तथा भवन नक्शा अनुमोदन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित संस्थानों तथा इन संस्थानों के अगुवाई करने वाले प्रतिनिधियों को नगर योजनाकार की शक्यियॉं एवं प्रकार्य प्रत्यायोजित किया जा सकता है ।

i) स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायत) हैवलॉक और नील द्वीपों के भागरूप

ii) नगर एवं ग्राम नियोजन ईकाई, अ.लो.नि.वि (पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र के मास्टर प्लान के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के रूप में स्तरोन्नयन करने का प्रस्ताव है)

हैवलॉक और नील दोनो द्वीप प्रत्येक पॉंच राजस्व गॉंव से मिलकर बना है तथा ये गॉंव तालिका 5.3 में उल्लेख तीन ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अधीन आते है ।

rkfydk 5-3 gloykd vkj uhy }hik e jktLo xko@ipk;r

ipk;r dk uke	jktLo xko
श्यामनगर (हैवलॉक द्वीप)	विजयनगर
	कृष्णनगर
	श्यामनगर
	राधानगर
गोविन्दनगर (हैवलॉक द्वीप)	गोविन्दनगर
नील केन्द्र (नील द्वीप)	लक्ष्मणपूर
	नील केन्द्र
	रामनगर
	भरतपूर
	सीतापूर

वर्तमान में हैवलॉक और नील द्वीप के राजस्व गॉंवों में भवन क्रियाकलाप, संबंधित ग्राम पंचायातों द्वारा विनियमित होता है । 200 वर्ग मी. या उससे कम के प्लॉटों में सभी प्रकार के विकासों के लिए नियोजन अनुमति एवं भवन नक्शा अनुमोदन जारी करने के लिए इन स्थानीय निकायों को शक्तियॉं विकेन्द्रित करने का प्रस्ताव है । 200 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉटों के विकास के लिए न. ग्रा. नि.वि नियोजन अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा और भवन नक्शा अनुमोदन, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जहॉं प्लॉटों की संख्या 8 से अधिक नहीं है तथा अभिन्यास के लिए विचार हेतु स्थल की कुल सीमा 1000 वर्ग मी. से अधिक नहीं है, ऐसे मामलों में प्लॉटों के लिए अभिन्यास के अनुमोदन हेतु नियोजन क्षेत्र के भीतर पंचायतों को शक्तियॉं विकेन्द्रित किया जाए ।

5-4 fodkl grq fu;ktu vuqefr] Hkou uD'kk vuqeknu rFkk lykVk ds fy, vfHkU;kl ikIr djus dh fØ;kfof/k %

भूमि तथा भवन विकास के लिए नियमों एवं मानकों को निर्धारित करने के अलावा विकास विनियम नियोजन अनुमति के 'सामान्य' एवं 'विशेष स्वीकृति' श्रेणियॉं के लिए भी प्रस्ताव करता है । नियोजन अनुमति प्राप्त/प्रदान करने की कियाविधि इस धारा के अन्तर्गत निर्देशित है ।

¼d½ <u>200 oxZ eh- ;k mlls de lhek okys IykV ds fodkl ds fy,</u>½

यदि प्रस्तावित 'विकास' 200 वर्ग मी. या उससे कम के प्लॉट के भीतर है, तो आवेदक, नियोजन अनुमति एवं भवन नक्शा अनुमोदन दोनों प्राप्त करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय के पास विहित फॉर्मेट में आवेदन कर सकता है । इसके बाद स्थानीय निकाय अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 के अनुसार हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान के साथ समस्वरता से भवन नक्शा के अनुमोदन तथा हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियोजन अनुमति प्रदान कर सकता है ।

यदि क्रियाकलाप के लिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता है तो स्थानीय निकाय, भवन नक्शा के अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व नियोजन अनुमति जारी करने के लिए, प्रस्ताव को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पास भेज सकता है ।

¼[k½ <u>200 oxZ eh- ls vf/kd lhek ds IykVksa esa fodkl ds fy,</u>½

200 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉट में विकास क्रियाकलापों के मामलों में आवेदक संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से विहित प्रपत्र में नगर योजनाकार, न.ग्रा.नि.वि के पास आवेदन कर सकता है । नगर योजनाकार, मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियोजन अनुमति प्रदान कर सकता है । अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार तथा हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान के साथ समस्वरता से स्थानीय निकाय द्वारा भवन नक्शा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

¼x½ <u>vU;</u>

8 या उससे कम संख्या वाले प्लाटों के अभिन्यास के मामलों में तथा 1000 वर्ग मीटर या उससे कम के अभिन्यास के स्थलों के मामलों में आवेदक अनुमोदन हेतु विहित प्रपत्र में सीधे स्थानीय निकाय के पास आवेदन कर सकता है। स्थानीय निकाय, हैवलॉक तथा नील द्वीपों के मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसका अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

8 से अधिक संख्या वाले प्लाटों के अभिन्यास या 1000 वर्ग मी. की सीमा से अधिक के स्थलों में प्लाटों के अभिन्यास के लिए आवेदक, विचार एवं अनुमोदन के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से विहित प्रपत्र में नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पास आवेदन कर सकता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसका अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

5-5 lykgdkj fudk; dk xBu

जैसा कि अनुभाग 5.3 में पहले ही बताया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम 1994 के तहत नियुक्त नगर योजनाकार को हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान में समाविष्ट राजस्व गॉवों के भीतर नियोजन अनुमति प्रदान करने के संबंध में उनकी शाक्तियों एवं प्रकायों को स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सलाहकार निकाय के गठन से, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन तथा नियोजन अनुमति प्रदान करने से संबंधित मामलों में, विस्तृत परामर्श एवं सहमति लेने में जब कभी और जहां कहीं वह आवश्यक समझे, नगर योजनाकार को मदद प्राप्त हो सकता है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि 'हैवलॉक तथा नील सलाहकार निकाय' के नाम से एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा जो कि हैवलॉक तथा नील द्वीपों के नियोजन और विकास से संबंधित मामलों में 'नगर योजनाकार' को सलाह एवं सिफारिश प्रदान करेगा । नगर योजनाकार, यदि अनिवार्य समझे, विशेष स्वीकृति श्रेणी के अन्तर्गत मॉगी गई नियोजन अनुमति हेतु आवेदन को विचारार्थ भेज भी सकता/सकती है ।

न.ग्रा.नि.वि. का नगर एवं ग्राम योजनाकार, हैवलॉक तथा नील विकास परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से हैवलॉक एवं नील द्वीप की योजना कार्यान्वयन एवं विकास का प्रभारी होगा/होगी । हैवलॉक एवं नील द्वीप सलाहकार निकाय के सदस्य सचिव का प्रकार्य, नगर एवं ग्राम योजनाकार या सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । पर्यटन, पर्यवरण एवं वन, मत्स्यकीय तथा लोक निर्माण विभाग से प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान) को हैवलॉक तथा नील सलाहकार निकाय के सदस्यों के रूप में शमिल किया जा सकता है । हैवलॉक तथा नील द्वीपों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी समीति में सदस्य के रूप में शामिल करने का विचार कियाा जा सकता है । प्राधिकरण के विस्तृत प्रकार्यों में निम्नलिखित शामिल है :

i. मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में उपयुक्त कार्यनीतियों की शिफाारिश करना ।
ii. मास्टर प्लान में पहचान किए गए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यसिद्धि में सहायता प्रदान करना ।
iii. मास्टर प्लान के सफल कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों से पार पाने में क्षेत्रक अभिकरणों तथा विभिन्न अन्य शेयरधारिता के मध्य समन्वय स्थापित करने में मदद करना ।
iv. नगर योजनाकार या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके ऊपर नियोजन अनुमति प्रदान करने हेतु शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है, के द्वारा भेजी गई विशेष स्वीकृति श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले नियोजन अनुमति देने में मत प्रदान करना ।
v. नगर योजनाकार या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके ऊपर भूमि उपयोग पुनर्वर्गीकरण प्रदान करने हेतु शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है, के द्वारा भेजी गई भूमि उपयोग पुनर्वर्गीकरण पर मत प्रदान करना ।
vi. हैवलॉक एवं नील द्वीपों के नियोजन एवं विकास तथा मास्टर प्लान के कार्यान्वयन से संबंधित, प्रशासन द्वारा भेजे गए किसी भी अन्य मामलों पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करना ।

5-6 vfHkdj.kksa dh Hkfedk ,oa mUkjnkf;Ro

मास्टर प्लान दस्तावेज ने हैवलॉक एवं नील द्वीपों में स्थाई पर्यटन विकास की कार्यसिद्धि के प्रति प्रस्तावों की पहचान की है । उन प्रस्तावों की पहचान करने पर भी ध्यान दिया गया है, जो मास्टर प्लान में स्थानीय आबादी की सामाजिकाार्थिक स्थिति को अत्यधिक बढ़ा सके । यद्यपि इस परियोजना की सफलता विभिन्न अभिकरणों तथा जनता के समर्थन और समन्वय पर निर्भर करेगा तथापि संबंधित अभिकरणों/विभागों द्वारा परियोजना कार्यानवयन की प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता है, जिस पर अंत में परियोजनओं को प्रचालन तथा रखरखाव के लिए सौंपा जाएगा । हैवलॉक एवं नील द्वीपों में पर्यटन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा ग्राम पंचायत के बीच समन्वय जटिल और महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये अभिकरण मास्टर प्लान के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीतियॉ एवं कार्यनीतियॉ बनाने तथा साथ ही मास्टर प्लान में समाविष्ट प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिक उत्तरदायी होगी ।

मास्टर प्लान में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी विभागों को, जहॉ भी आवश्यक हो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा पर्यवरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के निर्माण के संबध में कार्रवाई प्रारंभ करने तथा सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । क्योंकि भूमि, स्थानिक संदर्भ की दृष्टि से विचार किए गए प्रत्येक परियोजनाओं का अनिवार्य घटक है, अतः सरकारी विभागों को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन हेतु नवाचारी तरीके से उचित कदम उठाना होगा ।

मास्टर प्लान स्थानीय आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए भूमि उपयोग का पुनर्वर्गीकरण उपलब्ध कराता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रभावित न हो। क्योंकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 'भूमि उपयोग पुनर्वर्गीकरण' उपलब्ध नहीं कराता, अतः प्रशासन इस प्रकार के प्रावधान को समाविष्ट करने हेतु विनियमों में संशोधन पर विचार कर सकता है ।

अन्य स्थानों से भिन्न, हैवलॉक और नील द्वीप में ग्राम पंचायत पर अधिक भार है, क्योंकि उसे न केवल स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, बल्कि उसे पर्यटकों की काफी बड़ी और बढ़ती संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है, जो योजना अवधि के अंत तक संख्या में स्थानीय आबादी से अधिक हो सकती है । लेकिन उनकी संगठनात्मक संरचना तथा शक्तियॉ, किसी भी अन्य स्थानीय शासन की तुलना में समान है, जो एक कुशल प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकती । हैवलॉक और नील द्वीपों के इन स्थानीय शासकों में तकनीकी मानवशक्ति की कमी देखी गई है तथा स्थितियों को प्रबंध करने में कठिनाई प्रस्तुत आती पाई गई है । आगे इन संस्थानों को 200 वर्ग मी. या उससे कम की सीमा वाले प्लॉटों में विकास के लिए नियोजन अनुमति एवं भवन नक्शा अनुमोदन दोनों जारी करने के लिए मास्टर प्लान द्वारा शक्ति दी गई है । इन सभी पर विचार करते हुए हैवलॉक एवं नील द्वीपों में स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने की ओर प्रशासन को उपयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है ।

5-7 l:lk/ku t\Vko

मास्टर प्लान में हैवलॉक एवं नील द्वीपों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनके ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए अवसरों का लाभ उठाने हेतु स्थानीय आबादी को दिए जाने वाले सेवा में सुधार के लिए परियोजनाओं तथा अनेक अन्य परियोजनाओं की भी पहचान की गई है । क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार इन द्वीपों की संयुक्त जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है, अतः मास्टर प्लान में स्थानीय आबादी को लाभ पहुॅचाने वाले लक्षित परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में पूॅजी की आवश्यकता नहीं है । फिर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई परियोजनाऍ पूॅजी लक्षित है तथा दीर्घ कालावधि की भी आवश्यकता है । जैसा कि पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ा हिस्सा लेने के लिए सभी प्रकार से तैयार है, मास्टर प्लान में पहचान किए गए अनेक पर्यटन विकास परियोजनाऍ है, जिसके कार्यान्वयन में ऊॅची पूॅची लागत की आवश्यकता है । यद्यपि इन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक आर्थिक सहायता का उपयोग किया जा सकता है तथापि यह पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः पर्याप्त नहीं हो सकता ।

हॉलाकि निजि सार्वजनिक भागीदारी दृष्टिकोण किसी भी अन्य क्षेत्र की परियोजनाओं की अपेक्षा पर्यटन परियोजनाओं को अधिक भाता है, तथापि मास्टर प्लान में पर्यटन विकास से संबंधित सभी परियोजनाऍ निजि क्षेत्र की भागीदारी को निश्चित आकर्षित करेगा । भारत से अधिकांशतः सभी राज्य सरकारें, पर्यटन परियोजनाऍ कार्यान्वित करने के लिए निजि सार्वजनिक भागीदारी धारणा को लागू करना आरंभ कर दिए है, जो हैवलॉक और नील द्वीपों में पर्यटन विकास की संभावना एवं अवसर को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही अधिक बोलीकर्त्ता को आकर्षित करेगा ।

भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहित एवं समर्थन करती है, समुद्री पर्यटन, पर्यवरण अनुकूल पर्यटन, साहसिक पर्यटन हेलीपोर्ट पर्यटन तथा सुगम पर्यटन व्यापक क्षेत्र है, जिसके तहत पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित एवं समर्थन किया जाता है । पर्यटन विभाग, अ. तथ नि. प्रशासन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता के व्यापक क्षेत्रों के अन्तर्गत मास्टर प्लान में पहचान किए गए परियोजनाओं की चूलदार संयोजन तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की ओर अनिवार्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा करता है ।

अ. तथ नि. प्रशासन के विभाग, प्लान योजनाओं के अन्तर्गत सुरक्षित आबंटन के लिए प्रशासन के वार्षिक/पंच वर्षीय योजनाओं में मास्टर प्लान में पहचान किए गए परियोजनाओं को संबद्ध करने की ओर कार्य आरंभ करने की उम्मीद भी करता है ।

योजना कार्यान्वयन में भूमि की उपलब्धता और उसे कब्जे में लेना एक अन्य जटिल आयाम है । भूमि एक कीमती परिसंपत्ति है तथा विकास के लिए संसाधन के रूप में इसका उपयोगा होता है । अधिकतर विकास परियोजनओं में भूमि लागत का अंश महत्त्वपूर्ण है । अतः प्रशासन के अभिकरण अपने अधिकार के तहत भूमि की पूर्ण सूची अपने कब्जे में रखने की अपेक्षा करती है तथा अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन के भाग के रूप में इन महत्त्वपूर्ण संसाधनों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करते है । यह उपयोगी है कि इन द्वीपों में भूमियॉ केवल पट्टे पर दी जाती है और पट्टे का नवीनीकरण भूमि के सार्वजनिक उपयोग की आवश्यकता के परीक्षण के पश्चात ही की जाती है । अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजि सार्वजनिक भागीदारी प्रतिदर्श के बारे में विचार करते समय परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराना प्रशासन द्वारा निवेश का अंश हो सकता है ।

न.ग्रा.नि.वि विकास अधिकारों का हस्तांतरण जैसे भूमि प्रबंधन औजार के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन भी कर सकता है, जो परियोजना लागत को बड़ी मात्रा में कम कर सकता है, जहॉ भूमि अर्जन अनिवार्य है । विकास अधिकारों का हस्तांतरण द्वीपों की प्राचीन पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने तथा भौतिक विकास में गतिशीलता से समझौता किए बिना स्थाई आर्थिक विकास के लिए भी एक प्रभावी कार्यनीति हो सकता है ।